अब मंडी के बाहर फिर देना होगा शुल्क

प्रदेश से भी तीनों कृषि कानून खत्म, आदेश जारी

लखनऊ। केंद्र सरकार के स्तर से तीनों कृषि कानून समाप्त किए जाने की अधिसूचना के बाद राज्य के मंडी निदेशक ने भी इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में मंडी परिषद का पुराना मंडी अधिनियम प्रभावी हो गया है। अब मंडियों के बाहर कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क की व्यवस्था लागू हो जाएगी। लाइसेंस लेना जरूरी हो जाएगा।

प्रदेश सरकार ने केंद्र द्वारा तीनों कृषि कानून बनाए जाने के बाद राज्य में दो अध्यादेश के जरिए नई व्यवस्था लागू करने का शासनादेश जारी किया था। सभी मंडी परिषद व कृषि उत्पादन मंडी समितियां नए कानून के तहत कार्यवाही कर रही थीं। वहीं, केंद्र सरकार ने किसानों का आंदोलन समाप्त कराने के लिए एक दिसंबर को तीनों कानून निरस्त करने की अधिसूचना जारी की थी। इसी के आधार पर मंडी निदेशक ने केंद्र की अधिसूचना का संज्ञान लेते हुए प्रदेश में तीन कानूनों की वजह से प्रभावी व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी व्यवस्था पर अमल संबंधी आदेश जारी कर दिया है। ब्यूरो